

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.09.2020 जनपद देवरिया

दिनांक 07.09.2020 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➔थाना बनकटा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.नन्हे कुमार यादव पुत्र मैनेजर सा0 ममउर थाना गुठनी सिवान बिहार)को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 45 शीशी बण्टी बबली देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना मदनपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.पूर्णवासी प्रजापति पुत्र विश्वनाथ सा0 मठिया तिवारी थाना मदनपुर, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना बरहज पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.प्रेमचन्द पुत्र स्व0 रामजी सा0 परसिया देवार थाना बरहज, देवरिया को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 30 लीटर नाजायज शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.सुबाष प्रसाद पुत्र स्व0 डोमा प्रसाद सा0 खैराट थाना तरकुलवा, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना भाटपारानी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.मन्दू प्रसाद पुत्र स्व0 हरेन्द्र सा0 रामपुर लिटिहा थाना भाटपार रानी, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 25 शीशी बण्टी बबली देशी शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.भोलू निषाद पुत्र स्व0 गोविन्द सा0 निबही थाना रुद्रपुर, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.सूर्यनारायण पुत्र स्व0 रामवृक्ष सा0 जयराम कौडिया थाना सलेमपुर, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना मईल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.सुबाष कुमार पुत्र तँफानी सा0 एकौना थाना मईल, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना एकौना पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.रामकरन पुत्र तेरस सा0हौली बलिया थाना एकौना, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना भलुअनी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.आनन्द सिंह पुत्र मैनेजर सा0 व थाना भलुअनी, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त 01.सत्येन्द्र पुत्र रामअशीष सा0 उधवपुर थाना गौरीबाजार, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया और 01 अभियुक्त 01.मनीष चैहान पुत्र ज्ञान बहादुर सा0 एकडंगा थाना भलुअनी, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

►थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 01.आशीष कुमार पुत्र स्व0 देवकीनन्दन सा0 तिलक रोड थाना कोतवाली, देवरिया। 02.अविनाश मिश्रा पुत्र अनिल कुमार सा0 देवरिया खास थाना कोतवाली, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त 02 अभियुक्त 01.संजय वर्मा पुत्र त्रिलोकीनाथ सा0 रामगुलाम टोला थाना कोतवाली, देवरिया। 02.रामा पुत्र चन्दू सा0 दानोपुर थाना कोतवाली, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 20 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02. थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 07.09.2020 को थानाध्यक्ष रामपुर कारखाना के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर डुमरी चौराहा के पास से एक व्यक्ति को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.अमरजीत गुप्ता पुत्र रामकेवल गुप्ता सा0 पथरदेवा थाना रामपुर कारखाना, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

03. थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 07.09.2020 को थानाध्यक्ष तरकुलवा के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर कंचनपुर से एक व्यक्ति को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.नीरज सिंह पुत्र शिव सिंह सा0 फाजिल नगर थाना तुर्कपट्टी कुशीनगर बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद करते हुये पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

04. 05 अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शांतिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक बरहज द्वारा अवगत कराया गया कि शांतिर अभियुक्त 01.अमित सिंह पुत्र रामअधीन सिंह सा0 पैना बीच पट्टी थाना बरहज, देवरिया। 02.धर्मवीर सिंह उर्फ मोनू पुत्र चन्द्रभूषण सा0 उपरोक्त 03.आदिल अंसारी पुत्र महमूद सा0 उपरोक्त। 04.विकास पाण्डेय पुत्र रामदयाल सा0 उपरोक्त। 05.रामानन्द पाण्डेय पुत्र विजय शंकर सा0 उपरोक्त का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना बरहज में अपराध धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

05. 04 गौ तस्करो के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर की कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा शांतिर अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक मदनपुर द्वारा अवगत कराया गया कि शांतिर अभियुक्त 01.स्वयंवर यादव पुत्र गोरख यादव सा0 सुरौली थाना भलुअनी, देवरिया। 02.राजन यादव पुत्र मन्नु सा0 बैदा थाना कोतवाली, देवरिया। 03.अभिमन्यू माली उर्फ भोला पुत्र परशुराम माली सा0 पैकवली थाना भलुअनी, देवरिया। 04.संदीप यादव पुत्र नागू सा0 परसौनी थाना कोतवाली, देवरिया का एक संगठित गिरोह है। ये सभी अपने आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु गैंग बनाकर गौ तस्करी जैसे अपराध कारित करना इनका पेशा है। इस सम्बन्ध में थाना मदनपुर में अपराध धारा 3 (1) उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है।

06.थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 05 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक- 07.09.2020 को थानाध्यक्ष मय हमराही देखभाल क्षेत्र एवं संदिग्ध वाहन व व्यक्ति चेकिंग करते हुए क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर खास की सूचना पर सकरापार ग्राम के पास से तीन व्यक्तियों को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछे जाने पर उनके द्वारा अपना नाम व पता 01.मिथिलेश पाण्डेय पुत्र स्व0 श्रीराम प्रसाद सा0 सकरापार थाना कोतवाली, देवरिया। 02.रीता पाण्डेय पत्नी मिथिलेश सा0 उपरोक्त। 03.आरती पुत्री मिथिलेश पाण्डेय सा0 उपरोक्त बताया, जिनके पास से कुल 03 झोलों में से 05 किलोग्राम अवैध नाजायज गांजाबरामद किया गया। पुलिस टीम द्वारा बरामद 05 किलो अवैध गांजा को कब्जे में लेते हुए अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

07. निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 07.09.2020 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 14 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया।

08. जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 07.09.2020 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 358 वाहनों से 257100 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।

